

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 11/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा अनुच्छेद के 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

| क्र. सं. | नोटिसियों का नाम एवं पता   | कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक               | न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम  | नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी   |
|----------|--|---|--|---|
| (1)      | (2)  | (3)   | (4)  | (5)   |
| 1.       | मै सियाम ताइवा सेल्स लिमिटेड,<br>प्लॉट न. 11,<br>इंडस्ट्रियल एरिया,<br>फ़ेस-II,<br>चंडीगढ़<br>और 7 अन्य. | फा. सं. 857 (23)<br>LDH/10 दिनांक<br>23.04.2012 | भूतपूर्व अपर निदेशक सीमाशुल्क,<br>कस्टमस फ्रेट स्टेशन,<br>लुधियाना,<br>अमृतसर<br>भूतपूर्व अपर निदेशक सीमाशुल्क<br>(आयात),<br>जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस,<br>न्हावा शेवा,<br>रायगढ़. | आयुक्त सीमाशुल्क,<br>इनलैंड कंटेनर डिपो-<br>जीआरएफ़एल,<br>सहनेवाल,<br>लुधियाना-141120 के<br>कार्यालय में संयुक्त/अपर<br>निदेशक सीमाशुल्क. |

[फा. स. DRI/HQ-CI/50D/CAA-7/2019-CI]

(□□□□□ □□□□□)

अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-लुधियाना को इस निवेदन के साथ कि कारण बताओ नोटिस के सभी 8 नोटिसियों को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें
4. तालिका के स्तंभ (2) वर्णित नोटिसी।